भारत सरकार मुद्रणालय.....
के दिनांक.....R-9286 प्राप्त।
12/2/04
3/6/04
3/6/04

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

प्रभारी
पत्रपत्र वितरण एकक

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. — 270
KM — 30
Delhi — 20
CPB — 220

सं. 56] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 2004/माघ 15, 1925
No. 56] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 2004/MAGHA 15, 1925

पूरा किया

प्रभारी
पा० वि० एकक

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2004

सा.का.नि. 95(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 76 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 में,—

(क) नियम 33 में,—

(i) उपनियम (1) और उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(1) यथास्थिति, राज्य सरकारों या विनिर्माणकारी रसायनज्ञों या व्यक्ति या सत्ता को जिसे नियम 36 के उपनियम (2क) के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, अफीम का विक्रय केवल नीमच तथा गाजीपुर में स्थित सरकारी अफीम कारखानों से होगा।;

(2) नीमच तथा गाजीपुर में स्थित सरकारी अफीम कारखानों से, यथास्थिति, विनिर्माणकारी रसायनज्ञों या व्यक्ति या सत्ता को जिसे नियम 36 के उपनियम (2क) के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, अफीम का विक्रय, केवल उस राज्य सरकार के जिसकी अधिकारिता के भीतर रसायनज्ञ या व्यक्ति या सत्ता निवास करती है या उसके कारबार का स्थान उस सरकार द्वारा विहित प्ररूप में है, आदेशों द्वारा या उनके अधीन मंजूर किए गए परमिट के अधीन किया जाएगा;"

(ii) उपनियम (3) के खंड (क) में "सरकारी अफीम कारखाना, गाजीपुर" शब्दों के स्थान पर "नीमच तथा गाजीपुर में स्थित सरकारी अफीम कारखानों" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) नियम 36 में उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2क) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, स्वापक आयुक्त या ऐसा कोई अन्य अधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2004 के आरंभ से ही मार्फीन, कोडेइन, डायोनीन, थिबेइन, डाइहाइड्रोकोडेनोन, डाइहाइड्रोकोडेईन, एसिटिलडिहाइड्रोकोडेइन, एसिटिलडिहाइड्रोकोडेइनोन, डाइहाइड्रोमार्फीन,

डाइहाइड्रोमार्फीनोन, डाइहाइड्रोहाइड्रोक्सीकोडीनोन, फोल्कोडीन और उनके लवणों का विनिर्माण करने के लिए इन नियमों से संलग्न प्ररूप सं. 3 में, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो किसी व्यक्ति या सत्ता को अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट की जाएं, अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकेगा'';

(ग) नियम 37 के उपनियम (2) में, ''इस नियम के अधीन'' शब्दों के स्थान पर ''इस नियम या नियम 36 के उपनियम (2क) के अधीन'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(घ) नियम 38 में, ''नियम 37 के अधीन'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''नियम 36 या नियम 37 के अधीन'' शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ङ) नियम 39 में, आरंभिक भाग में ''नियम 37 के अधीन'' शब्दों के स्थान पर ''नियम 36 या नियम 37 के अधीन'' शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(च) प्ररूप संख्यांक 3 में,—

(i) ''(नियम 37 देखिए)'' कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर ''(नियम 36 और 37 देखिए)'' कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) ''अनुज्ञप्ति की शर्तें'' शीर्षक के अधीन, क्रम संख्यांक 6 में आने वाले ''फर्म'' शब्द के स्थान पर जहां-जहां वह आता है ''व्यक्ति या सत्ता'' शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. ए-66011/10/2003-सीएम]

सुनील कुमार सिंह, अवर सचिव

टिप्पण :— भारत के राजपत्र में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 सा.का.नि. 837(अ) तारीख 14-11-1985 तथा पश्चात्वर्ती संशोधन का.आ. 786(अ) तारीख 26-10-1992, का.आ. 599(अ) तारीख 10-8-1993, सा.का.नि. 748(अ) तारीख 14-12-1993, सा.का.नि. 543(अ) तारीख 24-10-1994, सा.का.नि. 82 तारीख 14-2-1995, सा.का.नि. 555(अ) तारीख 14-7-1995, सा.का.नि. 25(अ) तारीख 12-1-1996, सा.का.नि. 509(अ) तारीख 4-11-1996, सा.का.नि. 350(अ) तारीख 25-6-1997, सा.का.नि. 214(अ) तारीख 19-3-2002, सा.का.नि. 763(अ) तारीख 14-11-2002, सा.का.नि. 115(अ) तारीख 21-2-2003, सा.का.नि. 129(अ) तारीख 26-2-2003 तथा सा.का.नि. 217(अ) तारीख 17-3-2003 किए गए।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2004

G.S.R. 95(E).—In exercise of the powers conferred by Section 9, read with Section 76 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, namely —

1. (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, —

(a) in rule 33,—

(i) for sub-rules (1) and (2), the following sub-rules shall be substituted, namely :—

"(1) The sale of opium to the State Governments or manufacturing chemists or the person or entity who has been granted licence under sub-rule (2A) of rule 36, as the case may be, shall be only from the Government Opium Factories, located at Neemuch and Ghazipur .";

(2) The sale of opium from the Government Opium Factory at Neemuch and Ghazipur to manufacturing chemists or the person or entity who has been granted licence under sub-rule (2A) of rule 36, as the case may be, shall be only under a permit granted by or under the orders of the State Government within whose jurisdiction the chemist or the person or entity resides or has his place of business in the forms prescribed by that Government;"

(ii) in sub-rule (3), in clause (a), for the words "Government Opium Factory, Ghazipur" the words, "Government Opium Factories, at Neemuch and Ghazipur" shall be substituted;

(b) in rule 36, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(2A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), the Narcotics Commissioner or such other officer as may be authorized by the Central Government may, on and from the commencement of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Rules, 2004 grant a licence in Form No. 3 appended to these rules on such terms and conditions as may be specified in the licence to any person or entity for manufacture of morphine, codeine, dionine, thebaine, dihydrocodeinone, dihydrocodeine, acetyldihydrocodeine, acetyldihydrocodeinone, dihydromorphine, dihydromorphinone, dihydrohydroxycodeinone, pholcodine and their respective salts";

(c) in rule 37, in sub-rule (2), for the words, "under this rule", the words, brackets, figures and letter "under this rule or sub-rule (2A) of rule 36", shall be substituted;

(d) in rule 38, for the words and figures, "under rule 37", the words and figures "under rule 36 or rule 37", shall be substituted;

(e) in rule 39, in the opening portion, for the words and figures "under rule 37", the words and figures "under rule 36 or rule 37", shall be substituted;

(f) in the Form No. 3;

(i) for the brackets, words and figures, "(See rule 37)", the brackets, words and figures, "(See rules 36 and 37)" shall be substituted;

(ii) under the heading "Conditions of Licence" occurring in serial No. 6, for the word "firm", wherever they occur, the words, "the person or the entity" shall be substituted.

[F. No. A-66011/10/2003-CM]

S. K. SINGH, Under Secy.

Note: The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985 were published in the Gazette of India *vide* G.S.R. 837(E) dated 14-11-1985 and subsequently amended *vide* S.O. 786(E) dated 26-10-1992, S.O. 599(E) dated 10-8-1993, G.S.R. 748(E) dated 14-12-1993, G.S.R. 543 dated 24-10-1994, G.S.R. 82 dated 14-2-1995, G.S.R. 556(E) dated 14-7-1995, G.S.R. 25(E) dated 12-1-1996, G.S.R. 509(E) dated 4-11-1996, G.S.R. 350(E) dated 25-6-1997, G.S.R. 214(E) dated 19-3-2002, G.S.R. 763(E) dated 14-11-2002, G.S.R. 115(E) dated 21-2-2003, G.S.R. 129(E) dated 26-2-2003 and G.S.R. 217(E) dated 17-3-2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.